

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ७४] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल ६, १९७२/चैत्र १७, १८९४

No. 74] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 1972/CHAITRA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th April, 1972

SUBJECT.—*Information regarding import of goods from Yugoslavia.*

No. 52-ITC(PN)/72.—The Government of India and Yugoslavia have agreed to terminate the current Rupee Trade & Payments Agreement between them on 31st December, 1972.

2. As 1972 is the terminal year of Rupee payment arrangement and as the trade between the two countries this year is required to be balanced it is necessary that all importers on receipt of shipments from Yugoslavia during 1972 promptly inform the Officer on Special Duty (Yugoslavia), Ministry of Foreign Trade, Udyog Bhawan, New Delhi furnishing the following details:—

- (1) Import licence No. and date.
- (2) Name of commodity and value imported and balance left.
- (3) Shipment schedule of balance left in terms of value in rupees.
- (4) Name of Yugoslav exporter

3. It will be necessary for all Indian importers to ensure that payments against contracts are completed before 31st December, 1972 as thereafter no contract or portion of the unimplemented contract for payment in Indian rupees, will be considered as valid.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1972

विषय : यूगोस्लाविया से माल के आयात संबंधी सूचना :

सं० 52-आई०टी०सी० (पी० एन०)/72.—वर्तमान रुपया व्यापार तथा भुगतान करार को 31-12-1972 को समाप्त करने के लिए भारत सरकार और यूगोस्लाविया सरकार के बीच सहमति हो गई है।

2. चूंकि वर्ष 1972 रुपया भुगतान व्यवस्था का अंतिम वर्ष है और चूंकि इस वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापार को संतुलित करना अपेक्षित है, इसलिए, यह आवश्यक है कि वर्ष 1972 के दौरान यूगोस्लाविया से पोतलदान प्राप्त होने पर सभी आयातक विशेष कार्य अधिकारी (यूगोस्लाविया) विदेश व्यापार मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को निम्नलिखित ब्यौरा भेजते हुए तुरंत सूचित करें :-

- (1) आयात लाइसेंस सं० और दिनांक
- (2) पण्यवस्तु का नाम तथा आयातित मूल्य और कितना मूल्य शेष रहा
- (3) रुपए में मूल्य के अनुसार शेष रहे मूल्य की पोतलदान अनुसूची
- (4) यूगोस्लाव-निर्यातक का नाम

3. सभी भारतीय आयातकों के लिए यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि संविदाओं के मद्द् भुगतान 31-12-1972 से पहले पूर्ण कर लिए गए हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी संविदा या संविदा का कार्यान्वित न किया गया कोई अंश भारतीय रुपए में भुगतान के लिए वैध नहीं समझा जाएगा।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।